

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : एफ.15(1)/डीएमई/राजमेस/2017/1252

दिनांक : 18/06/2019

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
चूरु/भीलवाड़ा/भरतपुर/पाली/
डूंगरपुर/बाडमेर एवं सीकर।

विषय:- On Job basis outsource/Rexco के आधार पर कार्य कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक प.15(1)डीएमई/राजमेस/2017/6355 दिनांक 29.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार वित्त विभाग की आई.डी. संख्या-151900095 दिनांक 13.02.2019 के परिपेक्ष्य में 07 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों (चूरु/भीलवाड़ा/भरतपुर/पाली/डूंगरपुर/बाडमेर एवं सीकर) में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निम्नानुसार On Job basis outsource/Rexco से कार्य कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

S. N	Name of Post	(Total Sanctioned Post) By F.D.I.D No151900095 Dated 13.02.2019	वित्त विभाग की आई.डी. संख्या व दिनांक	कॉलेज वाईज पद विभाजन						
				Churu	Bhilwara	Bhartpur	Pali	Dungar-pur	Barmer	Sikar
1.	Artist (On Job basis Outsource)	7	101703814/20.07.2017	1	1	1	1	1	1	1
2.	Photographer (On Job basis Outsource)	7	101703814/20.07.2017	1	1	1	1	1	1	1
3.	Modeller (On Job basis Outsource)	7	101703814/20.07.2017	1	1	1	1	1	1	1
4.	Driver (From Rexco)	14	101703814/20.07.2017	2	2	2	2	2	2	2
5.	Machine with man as per Rules (On Job basis Outsource)	18	101703814/20.07.2017	3	3	3	3	2	2	2
6.	Sweeper (On Job basis Outsource)	62	101703814/20.07.2017	9	9	9	9	9	9	8


7.	सुरक्षाकर्मी	350	151800422/ 11.04.2018	50	50	50	50	50	50	50
8.	सफाईकर्मी	350	151800422/ 11.04.2018	50	50	50	50	50	50	50
9.	वार्डबॉय/ च.श्रे.क.	350	151800422/ 11.04.2018	50	50	50	50	50	50	50

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. संख्या-151900095 दिनांक 13.02.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देश/शर्तों के अनुसरण में जारी की जाती है।

(1) चिकित्सा महाविद्यालय को वित्त विभाग के परिपत्र प. 11(01)वित्त/समन्वय/2018 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का परामर्श दिया जाता है।

(2) चिकित्सा महाविद्यालय वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2018 को RTPP Act/Rules के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करावें। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत अनुबंध नहीं किया जावे।

उपर्युक्त तालिकाओं में जॉब बेसिस पर कार्यो को RTPP Act/Rules के प्रावधानों, तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से कराया जाना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत अनुबंध/सविदा पर कार्मिकों की सेवाएँ नहीं ली जावे।


 अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.),
 पदेन उप शासन सचिव
 दिनांक :

क्रमांक : एफ.15(1)/डीएमई/राजमेस/2017/

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक - माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा एवं अध्यक्ष - राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव - शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष - राजमेस, जयपुर।
3. निजी सहायक - अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन उप शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. कोषाध्यक्ष एवं अति. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक (प्रशा.), राजमेस।
7. उप निदेशक (एके.), राजमेस।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
9. लेखाशाखा, मय अतिरिक्त प्रति, राजमेस, जयपुर।
10. नोटिस मुख्यालय।

//
 उप निदेशक (प्रशा.)
 राजमेस